


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या- 2224 / 2014.....जिला.....अलवर.....

उनवान- सुरेश कुमार सेठी कर्ता एच.यु.एफ. सुरेश कुमार सेठी पुत्र श्री ग्यारसीलाल, अलवर बनाम राजस्थान सरकार जरिये कलेक्टर (मुद्रांक), अलवर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17.01.2017	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री राजीव चौधरी-सदस्य</p> <p>प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री कंवर दानिश द्वारा उक्त निगरानी विद्झा करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र जारी किया गया, जो आज दिनांक 17.01.2017 को प्राप्त हुआ, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना का लाभ प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थी यह निगरानी आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त निगरानी जरिये विद्झा खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।</p> <p>विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा ने प्रस्तुत निगरानी को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>फलस्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत निगरानी विद्झा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 2224/2014/अलवर जरिये विद्झावल (Withdrawl) खारिज की जाती हैं।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right;">  (राजीव चौधरी) सदस्य </div>	